राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1272/2004

डॉ. सत्येन्द्र कुमार नाग्यान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान पशुपालन विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी को निदेशालय पशुपालन राजस्थान, जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 28.09.1995 के द्वारा रिक्ति वर्ष 1995–96 के लिए जुनियर ग्रेड–।। में प्रजनन अनुभाग में चयन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि सहायक निदेशक, प्रजनन के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2000–01 की रिक्तियों के लिए अपीलार्थी को सम्मिलित नहीं किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पर इस आधार पर विचार नहीं गया कि उन्होंने 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। उनका आगे कथन रहा है कि अपीलार्थी को क्योंकि जुनियर ग्रेड–।। में चयनित वर्ष 1995–96 आवंटित किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी के अनुभव को दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से गिनी जानी चाहिए थी। इस हिसाब से वर्ष 2000–01 में पदोन्नति हेतु योग्यता रखता था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी ने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर 5 वर्ष का अनुभव पूरा नहीं किया। इस कारण से उनकी पदोन्नति को विचार में नहीं रखा गया है।
3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नं. 1052/1998 बनाम राजस्थान राज्य में मामलें पर प्राप्त निर्णय 18.01.1999 में यह माना है कि 1 अप्रैल से अनुभव की गणना की जानी चाहिए। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के अनुभव की गणना 1 अप्रैल, 1995 से की

जाये तो अपीलार्थी 5 वर्ष का अनुभव 1 अप्रैल, 2000 को है। ऐसे में अपीलार्थी को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जाना चाहिए था।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी की सहायक निदेशक, प्रजनन विभाग में वर्ष 2000–01 के लिए पदोन्नति हेतु रिव्यू–डीपीसी की कार्यवाही करें। यदि डीपीसी द्वारा अपीलार्थी को पात्र माना जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति दी जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)